



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062025-263734
CG-DL-E-11062025-263734

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2486]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 2025/ज्येष्ठ 21, 1947

No. 2486]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 2025/JYAISTA 21, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2025

का.आ. 2548(अ).—केंद्रीय सरकार, कॉफी नियम, 1955 के नियम 3 और नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्ति को कॉफी बोर्ड के सदस्य के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए या उसके स्थान पर किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति होने तक, जो भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले हो, नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना संख्याक का.आ. 4256 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“24क. श्री सेट्टी राजू ,
कोनापुरम गांव,
अनंतगिरी, अल्लुसीताराम राजू ,
आंध्र प्रदेश – 525 145.

— सदस्य ;”

[फा. सं. के-39012/2/2021-बागान ख(भाग)]

एल सत्य श्रीनिवास, विशेष सचिव

टिप्पणी – मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 4256 (अ), तारीख 13 सितम्बर, 2022 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्यांक का.आ. 638 (अ), तारीख 13 फरवरी, 2024 और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1321 (अ), तारीख 19 मार्च, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2025

S.O. 2548(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942) read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government hereby appoints the following person as member of the Coffee Board for a period of three years or until a new person is appointed in his place, whichever is earlier from the date of publication of this notification and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number S.O. 4256 (E), dated the 13th September, 2022, namely :—

2. In the said notification, after serial number 24 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

“24A. Shri Setty Raju,
Konapuram Village,
Anantagiri, Alluseetarama Raju,
Andhra Pradesh – 525 145.

— Member;”

[F. No. K-39012/2/2021-PLANT B(Part)]

L SATYA SRINIVAS, Special Secy.

Note.— The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 4256 (E), dated the 13th September, 2022 and was amended *vide* notification number S.O. 638 (E) dated 13th February, 2024 and S.O. 1321 (E) dated 19th March, 2025.